केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

के वि वि आयोग
CERC

सत्यमेव जयते

याचिका सं.233 / टीएल / 2024 दिनांक: 17.10.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड खावदा IV-ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नं. 2, सेक्टर–29, गुड़गांव 122001 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फेज–IV (7जीडब्ल्यू) भाग ई2 के अधीन गुजरात के खावदा क्षेत्र में संभावित नवीकरणीय ऊर्जा ज़ोन से विद्युत की निकासी के लिए पारेशण प्रणाली" के लिए अंतर–राज्यिक पारेशण प्रणाली की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1(क)	आरई अंतरसंयोजन के लिए बस सेक्शन–I पर बस सेक्शन–I (5वीं एवं 6वीं) और 2 नं. 400 केवी बे पर 2x1500 एमवीएए 765/400 केवी आईसीटी द्वारा केपीएस2 (जीआईएस) पर ट्रांसफॉरमेशन क्षमता का संवर्द्धन	एसपीवी अधिग्रहण की तारीख से 21 माह
1(ख)	आरई अंतरसंयोजन के लिए बस सेक्शन–II पर बस सेक्शन–II (7वां एव 8वीं) और 3 नं. 400 केवी बे पर 2x1500 एमवीएए 765/400 केवी आईसीटी द्वारा केपीएस2 (जीआईएस) पर ट्रांसफॉरमेशन क्षमता का संवर्द्धन	

नोट

क) टीएसपी वन एण्ड हाफ ब्रेकर स्कीम में डायामीटर (जीआईएस) को पूरा करने के लिए अपेक्षित 2 मेन बे और 1 टाई बे को शामिल करते हुए केपीएस2 (जीआईएस) के 765 केवी स्तर पर दो पूर्ण डायामीटर (बस सेक्शन–1 पर 1 और बस सेक्शन–II पर 1) को कार्यान्वित करेगा।

ख) टीएसपी वन एण्ड हाफ ब्रेकर स्कीम में डायामीटर (जीआईएस) को पूरा करने के लिए अपेक्षित 2 मेन बे और 1 टाई बे को शामिल करते हुए केपीएस2 (जीआईएस) के 400 केवी स्तर पर पांच पूर्ण डायामीटर (बस सेक्शन–1 पर 2 और बस सेक्शन–II पर 3) को कार्यान्वित करेगा।

ग) इसके अलावा, केपीएस2 का टीएसपी उक्त संवर्द्धन कार्य के लिए स्थान प्रदान करेगा।

घ) आरई अंतरसंयोजन के लिए बस सेक्शन–I पर 2 नं. 400 केवी बे और आरई अंतरसंयोजन के लिए बस सेक्शन–II पर 1 नं. 400 केवी बे केपीएस2 पर पहले से कार्यान्वयन के अधीन है।

ङ) कार्यान्वयन टाइमफ्रेम : एसपीवी अधिग्रहण की तारीख से 21 मास।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 18.6.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 233 / टीएल / 2024 में दिनांक 16.10.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. पावरग्रिड खावदा IV-ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in/subsidiaries** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रिया विधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **25.10.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक 28.10.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव